

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

पत्र व्यवहार हेतु पता :-  
सम्पादक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट

127 / 204 'एस' जूही, कानपुर-208014

सम्पर्क सूत्र :- 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष - 45 • अंक - 18 • कानपुर 16 से 30 सितम्बर 2023 • प्रधान सम्पादक - डा० एम० एच० इदरीसी • वार्षिक मूल्य ₹ 100

## बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के

### आडिटोरियम में महात्मा मैटी का निर्वाण दिवस सम्पन्न

प्रदेश की इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र की अग्रणी संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के प्रशासनिक कार्यालय कानपुर के मुख्य ऑडिटोरियम में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के आविष्कारक डा० काउण्ट सीजर मैटी का 127 वाँ निर्वाण दिवस मनाया गया इस अवसर पर जिले के अनेक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भाग लिया, सर्व प्रथम बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी द्वारा मैटी के चित्र पर माल्यापर्ण किया गया इसके बाद समस्त स्टाफ द्वारा माल्यापर्ण एवं पुष्प अर्पित किये गये इस अवसर पर डा० इदरीसी ने कहा कि पिछले डेढ़ शतक से अधिक महात्मा मैटी द्वारा किये गये कार्यों पर चर्चा होती है, सराहना होती है और कभी-कभी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से तुलना भी होती है, चर्चा, सराहना, तुलनात्मक अध्ययन अच्छी बात है परन्तु जब

#### मैटी द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिये-इदरीसी

तक कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता तब तक सब कुछ व्यर्थ है। इतनी लम्बी समयावधि बीत जाने के उपरान्त अब कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि महात्मा मैटी ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था उन

कार्यों के मूल्यांकन का वस्तुतः अब सही समय आ गया है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित इन्टर डिपार्टमेंटल कमेटी हमें यह सोचने के लिये विवश कर देती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के

चिकित्सक हैं वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ही व्यवहार में लायें और अपने से सम्बन्धित लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी से परिचित करायें, कार्यक्रम में अपने विचार देते हुये वित्त नियंत्रक श्री जफर इदरीसी ने

उ०प्र० के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने मैटी को श्रद्धांजलि देते हुये कहा कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जो अवसर हमें अब प्राप्त हुआ है हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिये, आगे कार्यक्रम को विचार देते हुये डा० अहमद ने कहा कि जो कुछ भी हमने भोगा वह हमारी नियति थी और अब जो कुछ भी मिलेगा वह हमारे कर्मों का परिणाम है, बोर्ड के रजिस्ट्रार ने आगे कहा कि हमें क्या मिलना है ? यह स्पष्ट नहीं है परन्तु आशापूर्वक सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा कर ही सकते हैं क्योंकि जो परिदृश्य हमारे सामने हैं वे एक अच्छे भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं अभी जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है यह हमारे सब साथियों के कार्यों का फल होगा और इस फल को हम किस तरह सहेज कर रख पाते हैं यह हमारे साथियों का दायित्व है, कार्यक्रम में श्री अनुज कुमार शुक्ला, श्री शुभम गौतम आदि ने भाग लिया।

- ✓ नये व युवा चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्यवहार में लायें
- ✓ हमने जो कुछ भी अपने अग्रजों से सीखा है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है
- ✓ भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार ने हमें जो अवसर दिये हैं उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिये एवं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें



सिद्धान्तों पर चलते हुये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों ने जो कार्य किये हैं उनके

कार्यों का मूल्यांकन किस तरह से करवाया जाये ? मैटी को श्रद्धांजलि देते हुये डा० मिथलेश कुमार मिश्रा ने महात्मा मैटी के बताये हुये रास्ते पर चलने की सलाह दी तथा चिकित्सकों से अपील की कि जो नये व युवा

कहा कि हमने जो कुछ भी अपने अग्रजों से सीखा है उसे पूरा करने का अवसर वास्तव में अब मिला है।

कार्यक्रम में अपने विचार देते हुये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,

## बोर्ड की सेमेस्टर परीक्षाये 25 सितम्बर से

F.M.E.H., A.C.E.H. की सेमेस्टर तथा C.E.H. की वार्षिक परीक्षा आगामी 25 सितम्बर, 2023 से प्रस्तावित है, जून सेमेस्टर के लिये जो छात्र परीक्षा में बैठने से वंचित रह गये थे वे सितम्बर सेमेस्टर में सम्मिलित हो सकते हैं ऐसे छात्र अपने परीक्षा फार्म शुल्क के साथ अपने केन्द्र के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं, जैसा कि लखनऊ मीटिंग में तय हुआ था कि हर छात्र को एप्रेन धारण करना आवश्यक है, सितम्बर, 2023 से प्रारम्भ होने वाली सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एप्रेन के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें, परीक्षा काल में उड़न दस्तों की व्यवस्था की गयी है, दस्ता वेकिंग के साथ ही बिना एप्रेन के परीक्षा देने वालों को भी शिथिल करेगा, यह जानकारी बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने गजट को एक भेंट में दी।

परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है :-



BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE, U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION SEPTEMBER 2023

Name of the course	25 <sup>th</sup> September, 2023 Monday	26 <sup>th</sup> September, 2023 Tuesday	27 <sup>th</sup> September, 2023 Wednesday	29 <sup>th</sup> September, 2023 Friday
F.M.E.H. 1st Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy & Philosophy	XX	XX
F.M.E.H. 2nd Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science	XX
F.M.E.H. 3rd Semester	Ophthalmology including E.N.T.	M. Jurisprudence & Toxicology	Dietetics	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	Pathology-Hygiene and M. Jurisprudence	Midwifery Gynics, Ophthalmology & Practice of Med.
C.E.H.	Anatomy	Physiology	Pharmacy	Philosophy

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Atteeq Ahmad  
Examination Incharge

## सरकार की अनुमति के बिना जारी प्रमाण-पत्र महत्वहीन

देश में चिकित्सा पद्धतियों के संचालन के लिए नियामक संस्थाएँ स्थापित हैं जिनकी अनुमति के बाद ही चिकित्सा संस्थाएँ स्थापित एवं संचालित की जा सकती हैं जो संस्थाएँ अनुमति प्राप्त नहीं करती हैं वे अवैध कहलाती हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्योंकि अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है इसका



यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अनुमति की आवश्यकता नहीं है देश में कानून का राज है, हर कार्य करने के लिए व्यवस्था है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भी सरकार ने मान्यता पूर्व की व्यवस्था की है, इस हेतु उसने दिशा निर्देश भी जारी किये हैं सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 4015/98 में पारित आदेश दिनांक 18-11-1998 के अनुपालन में 25 नवम्बर, 2003 को आदेश पारित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित सभी गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के कार्य करने के लिए अति स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन पद्धतियों को मान्यता प्रदान नहीं की गयी है वह बैचलर व मास्टर डिग्री / डिप्लोमा नहीं जारी करेंगे तथा मान्यता प्राप्त चिकित्सकों के अतिरिक्त कोई भी डॉ0 शब्द का प्रयोग नहीं करेगा।

इस कथन को और अधिक बल देते हुए भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 5-5-2010 में लिखा है कि "माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के आदेश संख्या आर.14015/25/96-यू एण्ड एच (आर) (पार्ट) के प्राक्कान से किया जाता हो"।

सरकार के इन आदेशों से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए सरकार ने मान्यता के पूर्व की स्थिति निर्मित की है, इन आदेशों के पालन के बिना कोई भी संस्था स्थापित या संचालित नहीं की जा सकती है चूंकि यह आदेश भारत सरकार के हैं इसके अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, किसी भी संस्था के संचालन के लिए जिस राज्य में कार्य किया जाना है उस राज्य के स्वास्थ्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, स्पष्ट है कि बिना अनुमति के कार्य नहीं किया जा सकता है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के सन्दर्भित आदेश दिनांक 18-11-1998 में इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1966, इण्डियन मेडिसिन सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1970, होम्योपैथी सेन्ट्रल काउन्सिल एक्ट 1973 एवं इण्डियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 तथा यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन एक्ट 1956 के अवलोकन के साथ साथ उच्च शिक्षा से सम्बन्धित एक वाद उन्नीकृष्णन जे0पी0 तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश व अन्य के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण व परीशीलन करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया उसमें स्पष्ट किया गया है कि यह संस्थाएँ कोई डिग्री जारी नहीं करेंगी सरकार डिप्लोमा/प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शर्त निर्धारित करेगी इस आदेश के अनुपालन में ही भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 का आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संस्थाएँ डिग्री/डिप्लोमा जारी नहीं करेंगी तथा राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को भी निर्देशित किया गया है कि वह ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखेंगे तथा केन्द्र सरकार को इस आदेश का जनहित में व्यापक प्रचार भी करेंगे।

अभी भी देश में हजारों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ कार्यरत हैं जो डिग्री व डिप्लोमा प्रदान कर रही हैं, उन्हें सरकार के आदेशों एवं निर्देशों की कोई परवाह नहीं है, निरन्तर कार्यवाहियाँ होती रहती हैं जब मामला गम्भीर हो जाता है तब महाराष्ट्र सरकार बनाम अफरोज खान उस्मान खान वाद की उत्पत्ति हो जाती है और ऐसे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है सरकार को इस वाद में नूना ड्राफ्ट बिल सुप्रीम कोर्ट के सम्मक्ष पेश करना पड़ा है जिसकी अग्रिम कार्यवाही के रूप में आई0 सी0 गठित हुयी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन एक्ट 1956 की स्थापना के पूर्व एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था जिसकी समीक्षा भी हुई थी, उस समय विश्वविद्यालय नियमित हो सकता था, किन्तु मानक के अभाव में ऐसा नहीं हो सका, लगभग 5 दशक पूर्व बिहार राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जिसे सरकार के आदेशों के आलोक में बन्द कर दिया गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता को देखते हुए देश में निजी विश्वविद्यालयों ने भी अवैध तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स संचालित करने लगे, कुछ ही समय के बाद उन्हें लगा कि यह बिना सरकार की अनुमति से कोर्स संचालित कर रहे हैं।

निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य विश्वविद्यालयों ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिप्लोमा कोर्स संचालित कर दिया, राज्य सरकार ने इस हेतु स्वास्थ्य मन्त्रालय भारत सरकार से कोई सहमति भी प्राप्त नहीं की है यदि उसने कोई ऐसी सहमति प्राप्त की होती तो उसके द्वारा जारी विज्ञापनों में इसका उल्लेख अवश्य होता।

यदि मध्यप्रदेश सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विषय में वास्तव में कुछ करना चाहती है तो वह अपने राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य जैसा आदेश पारित कर ही सकती है।

## महात्मा डा0 काउण्ट सीज़र मैटी का निर्वाण दिवस सम्पन्न

रायबरेली-इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉ0 काउण्ट सीज़र मैटी की 127वीं पुण्यतिथि आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट एवं चिकित्सालय छजलापुर में मनायी गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी चिकित्सकों व विद्यार्थियों ने डॉ0 मैटी के चित्र पर माल्यापण किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे

इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉ0 पी0एन0 कुशवाहा ने कहा कि इस पैथी के द्वारा चिकित्सा कार्य करना ही डॉ0 मैटी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉ0 रमेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि डॉ0 मैटी जमींदार परिवार में जन्में थे इसके पश्चात भी गरीबों, असहायों व अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए चिन्तित रहे और इसी क्रम में उन्होंने एक अलग चिकित्सा पद्धति की खोज की जो वनस्पतिक तत्वों पर आधारित है। इस अवसर पर रमेश कुमार तिवारी, पूजा शुक्ला, सोमनाथ मौर्या, लालता राम गुप्त, त्रिलोक सिंह, राजेन्द्र सिंह, रिकू साहू सुनील कुमार, राम आसरे आदि चिकित्सक उपस्थित रहे।

फतेहपुर- आज दिनांक 4 सितंबर 2023 दिन सोमवार को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के जनपद कार्यालय फतेहपुर व काउण्ट मैटी मेमोरियल क्लिनिक खंभापुर फतेहपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉ0 काउण्ट सीज़र मैटी का 127वां निर्वाण दिवस मनाया गया पूर्व सूबेदार मेजर उ0प्र0 पुलिस अनौर उल्लाह व प्रभारी अधिकारी डॉ0 वकील अहमद ने डॉ0 मैटी के चित्र में माल्यापण किया साथ ही

उपस्थित समस्त नागरिकों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर दिव्यांग आवासीय विद्यालय के छात्रावास अधीक्षक मनीष यादव रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य सुरेश श्रीवास्तव, अनुज श्रीवास्तव चैतन्य यादव निशा सिद्दीकी, अतीका बानो आदि उपस्थित हुये।

हमीरपुर- इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डॉ0 काउण्ट सीज़र मैटी की 127वीं पुण्यतिथि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय पटकाना हमीरपुर में घुमघाम से मनाई गई कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ0 मैटी के चित्र पर माल्यापण कर दीप प्रज्वलन कर किया गया बुन्देलखण्ड प्रभारी इं0एच0 डॉ0 नरेन्द्र भूषण निगम ने कार्यक्रम की शुरुआत में बोलते हुए कहा कि केवल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 लखनऊ से पंजीकृत चिकित्सकों को ही चिकित्सा करने का अधिकार है क्योंकि चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष के सभी विभागों को पत्र लिखकर यह सूचित किया गया है कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को शासन के निर्देशन अनुसार अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने के लिए उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग 8 ने 4 जनवरी 2012 को आदेश जारी किया है। इं0एच0 डॉ0 मानसी ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भारत सरकार द्वारा गठित इंटर डिपार्टमेंट कमेटी कार्य कर रही है। डॉ0 मैटी की पुण्यतिथि में आई मुस्कान यादव जो कि मुंह के अंदर लालिमा व छालों से परेशान थी जबसे उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों का

सेवन किया समय उपरान्त जो लाभ प्राप्त हुआ उसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन में इं0एच0 डॉ0 मैहर मयूर निगम ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी भी लोगों तक पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य करना होगा इनके चिकित्सालय हर गांव व कस्बे में खोलने होंगे और यहां तक कि निःशुल्क इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा कैंप लगाकर रोगियों को इसका लाभ देना होगा पुण्यतिथि कार्यक्रम में डॉ0 राजनीश, इं0एच0 डॉ0 कंचन गुप्ता, प्रवीण कुमार नामदेव डॉ0 सफी बक्स चन्द्र भूषण आदि लोग उपस्थित रहे।

हापुड़- डॉ0 काउण्ट सीज़र मैटी के निर्वाण दिवस पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारी जिला कार्यालय हापुड़ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बंधुओं को नवीनतम जानकारी से अवगत कराते हुए डॉ0 मैटी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए डॉ0 मैटी की प्रतिमा पर सभी उपस्थितगणों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डॉ0 पी0के0 राघव, डॉ0 आर0के0 तेवतिया, डॉ0 नागेन्द्र पाल सिंह, डॉ0 अरुण त्यागी, डॉ0 विपिन जैन, डॉ0 एस0के0 शर्मा, डॉ0 आर0के0 चौधरी, डॉ0 बलराज सिंह, डॉ0 शारदा, डॉ0 आजम अली, चेतन गुप्ता, सुनील कुमार, डॉ0 अमित राघव, डॉ0 गायत्री चौहान, नवीन सर, नितिन सर, सागर सर, रितिका, गौरव ठाकुर, यशवीर, कोमल, राजीव शर्मा, अभिषेक आदि उपस्थित थे।

कार्यक्रमों के छाया चित्र पेज 4 पर भी देखें

अन्ततः **C.M.O.** हमीरपुर को स्वीकारना ही पड़ा कि **C.M.O.** कार्यालय में केवल एलोपैथी के चिकित्सकों का ही ज़िला पंजीयन किया जाता है

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर

संख्या-सी0एम0ओ0/जनसूचना/2023-24/169

दिनांक-13.04.2023

श्री अंकुर निगम (एडवोकेट),  
पटकाना,  
जिला-हमीरपुर।

**विषय-जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक-10.04.2023 को प्रेषित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा से सम्बन्धित पंजीकरण नहीं किया जाता है।

अतः उक्त सूचना शून्य है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
हमीरपुर

# डॉ० काउण्ट सीजर मैटी का 127 वाँ निर्वाण दिवस कैमरे की नज़र में



बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के प्रशासनिक कार्यालय में मैटी निर्वाण दिवस कार्यक्रम के बाद समस्त स्टाफ ने घुप फोटो खिंचवाया बायें से दायें बोर्ड के वित्त नियंत्रक श्री जफर इदरीसी, श्री शुभम गौतम, बोर्ड के रजिस्ट्रार E.H.डा० अतीक अहमद, बोर्ड के चेयरमैन E.H.डा० मौ० हाशिम इदरीसी, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव E.H.डा० मिथलेश कुमार मिश्रा, बोर्ड के नवनियुक्त स्टाफ श्री अनुज शुक्ला

## M.S.D.E.H. Medical इन्सटीट्यूट में 127 वाँ निर्वाण दिवस कुछ इस प्रकार मनाया गया



खीरी, लखीमपुर- मां सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डॉ० काउण्ट सीजर मैटी के निर्वाण दिवस पर डॉ० मैटी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर वाद किया गया। इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉ० राकेश शर्मा ने डॉ० काउण्ट सीजर मैटी के जीवन परिचय का वर्णन करते हुए उनके त्याग को सराहते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर छात्र चिकित्सक श्रीमती रुनी नाज, अशिका गुप्ता, श्रीमती किरन गुप्ता, पलक गुप्ता, प्रतीक्षा भाजपेई, दिव्यांस श्रीवास्तव, अरसद अली, तथा चिकित्सक श्रीमती आइशा एजाज अहमद आदि ने पुष्पांजलि अर्पित कर डॉ० मैटी साहब के त्याग को सराहते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया, अंत में डा० राकेश शर्मा द्वारा कार्यक्रम में आये हुये सभी चिकित्सकों एवं छात्रों को धन्यवाद दिया।

M.S.D.Electro Homoeopathic Medical institute के कैमरा में E.H. डा० राकेश शर्मा की अध्यक्षता में डॉ० काउण्ट मैटी का 127 वाँ निर्वाण दिवस कुछ इस प्रकार आयोजित किया गया।

### न्यू गुजरात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रेक्टिशनर एसोसिएशन अहमदाबाद में भी पुण्य तिथि मनायी गयी



(मुजत संस्मरण द्वारा) अहमदाबाद- न्यू गुजरात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रेक्टिशनर एसोसिएशन अहमदाबाद के तत्वाधान में डॉ० काउण्ट सीजर मैटी की 127वीं पुण्यतिथि पर ओडब में एक होटल में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार हुआ। सेमिनार में गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ सूत और वडोदरा से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डाक्टर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसोसिएशन के सचिव डॉ० आर०सी०भीर्य, डॉ० टी०एन० सिंह सहित कई चिकित्सकों ने विचार व्यक्त किए। हाकिम सिंह, सुभाष पाण्डेय, सिकंदर सिंह, मुकेश खूंट, किशोर सिंह जाड़ेजा, विजय गढवी, परेश व्यास उपस्थित रहे।

# निर्वाण दिवस के कार्यक्रमों की फोटो

पेज 2  
से आगे



Count Cesare Mattei  
(11 Jan 1809 - 04 Sep 1896)  
Founder of Electro Homeopathy



EH:डा0 वकील अहमद जिला प्रभारी फतेहपुर कैमरे की नजर में

B.M.E.H. Institute Jaunpur में निर्वाण दिवस के कार्यक्रम की झलक



B.K.E.H. Study Centre, हमीरपुर के संचालक EH:डा0 नरेन्द्र भूषण निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम की झलक



A.E.H. Medical Institute, रायबरेली के संचालक EH:डा0 पी0एन0 कुशवाहा द्वारा कुछ इस प्रकार कार्यक्रम किया

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक  
मेडिसिन, उ0प्र0

द्वारा

पंजीकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथों को  
गाइड लाइन जारी

बिना ज़िला पंजीयन कराये

नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस

उत्तर प्रदेश के अनेक

ज़िलों में

ज़िला प्रभारी नियुक्त

असुविधा के लिये

हेल्प लाइन नम्बर जारी

7081624593 , 9415074806

9450153215 , 7317590784

9415486103



पर्यवेक्षक महोदय डॉ0 पी0के0 राघव जी के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जिला प्रभारी कार्यालय हापुड़ का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए।

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर-14 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर-208014 से प्रकाशित किया गया।